(65)

आयोजनागत

संख्याः– /I(2)/2012-04-03/2012

प्रेषक,

डा0 एस0एस0 सन्धु,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
यूजेवीएन लिमिटेड,
देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग–2, देहरादूनः दिनाकः 14 मार्च, 2012

विषयः– यूजेवीएन लि0 की नाबार्ड से वित्त पोषित जल विद्युत परियोजनाओं हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निगम के पत्र संख्या 200/D(o)/A-1 RMU Mohammadpur, दिनांक 08.02.2011 के अनुक्रम में वित्तीय वर्ष 2011–12 में नाबार्ड की RIDF- XIII & XV योजना हेतु नाबार्ड के पत्र संख्याः राबै.उत्तराखण्ड/4979/एफडी(एलओएसी)–15/2011–12, दिनांक 04.01.2012 से स्वीकृत ऋण की धनराशि के सापेक्ष ₹ 13,02,97,000.00 (₹ तेरह करोड़ दो लाख सत्तानबे हजार मात्र) की धनराशि निम्न विवरणानुसार निम्नलिखित शर्तो के अधीन व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(धनराशि लाख ₹ में)

क0सं0	परियोजना का नाम	नाबार्ड द्वारा ऋण के रुप में प्रतिपूर्तित धनराशि
1	2	3
1–	नाबार्ड की RIDF-XIII के अन्तर्गत	
	क– लघु जल विद्युत परियोजना असीगंगा–1	447.76
	ख– लघु जल विद्युत परियोजना असीगंगा–2	255.52
	RIDF-XIII का योग	703.28
2–	नाबार्ड की RIDF-XV के अन्तर्गत	
	ख– जल विद्युत परियोजना मोहम्मदपुर हेतु	599.69
	RIDF-XV का योग	599.69
	कुल योग	1302.97

(₹ तेरह करोड़ दो लाख सत्तानबे हजार मात्र)

1– स्वीकृत धनराशि को आहरित करने के लिये बिलों पर प्रतिहस्ताक्षरित करने के लिये जिलाधिकारी, देहरादून को प्राधिकृत किया जाता है।

2– स्वीकृत धनराशि के आगणनों पर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किये बिना कार्य प्रारम्भ न किया जाय अथवा नियमानुसार पूर्व से अनुमोदित एवं चालू कार्यो पर ही व्यय किया जाय। धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाय।

3– धनराशि का उपयोग नाबार्ड के गाईड लाईन्स के अनुसार सुनिश्चित किया जाय तथा नाबार्ड के पत्र संख्या राबै.उत्तराखण्ड/4979/एफडी(एलओएसी)–15/2011–12, दिनांक 04.01.2012 के प्रतिबन्धों/शर्तो का भी अनुपालन किया जायेगा।

4– नाबार्ड के उक्त वर्णित पत्र दिनांक 04.01.2012 के प्राविधानानुसार उक्त स्वीकृत ऋण पर 6.5 प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा, जिसका भुगतान प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर करना होगा। इस प्रकार का पहला ब्याज का भुगतान दिनांक 01.04.2012 तक देय होगा।

.....2

5– ऋण पर देय ब्याज एवं मूलधन की अदायगी संगत राजस्व लेखा शीर्षक में राज्य सरकार के खाते में की जायेगी । जिसकी वापसी नाबार्ड के उक्त पत्र दिनांक 04.01.2012 के शेड्युल के अनुसार सुनिश्चित की जाये ।

6– यूजेवीएन लिमिटेड व्यय की गई धनराशि का रिम्बर्समेंट क्लेम तत्काल प्रस्तुत करेगा।

7– उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

8– स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष मासिक आधार पर वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा और धनराशि का व्यय करने में नाबार्ड के दिशा निर्देशों तथा वित्तीय नियमों का अनुपालन किया जायेगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि के उपयोग के पश्चात् परियोजनाओं का वी.सी.आर. प्रस्तुत करते हुये धनराशि प्रतिपूर्ति हेतु प्रतिपूर्ति दावे का प्रस्ताव तुरन्त वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

9– व्यय करते समय बजट मैनुअल, स्टोर पर्चेज रूल्स, वित्तीय हस्त पुस्तिका, मितव्ययता के विषय में समय–समय पर निर्गत आदेशो का अनुपालन किया जाये।

10– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही योजनाओं पर किया जायेगा, जिनके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है और निर्धारित समय में इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र नाबार्ड को एवं राज्य सरकार को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

11– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या 21 के अन्तर्गत संलग्नक **'क'** में उल्लिखित संगत लेखाशीर्षकों के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0 101/XXVII(1)/2012, दिनांक 13 मार्च, 2012 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(डा0 एस0एस0 सन्धु)
सचिव

संख्याः-282(1) /I(2)/2012-04-03/2012, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– स्टाफ आफिसर–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– सचिव–मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने हेतु।
4– जिलाधिकारी, देहरादून।
5– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
6– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7– बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
8– वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन।
9– नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10– प्रभारी, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
11– प्रभारी, ऊर्जा सैल, उत्तराखण्ड शासन।
12– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)

शासनादेश संख्या:-292 /I(2)/2012-04-03/2012, दिनांक 14 मार्च, 2012 का संलग्नक 'क'।

(धनराशि लाख रुपये में)

अनुदान संख्या	लेखाशीर्षक	धनराशि
21	6801–बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय 01–जल विद्युत उत्पादन– आयोजनागत 190–सरकारी क्षेत्र के उपकमों एवं अन्य उपकमों में निवेश 04–नाबार्ड से जल विद्युत निगम को ऋण 30–निवेश / ऋण	₹ 1302.97
कुल धनराशि		₹ 1302.97

(₹ तेरह करोड़ दो लाख सत्तानबे हजार मात्र)

(डा0 एस0एस0 सन्धु)
सचिव